

डिग्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-360/2018

1. सहदेव पुत्र औमप्रकाश जाति सुथार निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
-वादी

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति सुथार
 2. कृष्णा पत्नी औमप्रकाश जाति सुथार
 3. सन्तोष पुत्री औमप्रकाश जाति सुथार
- निवासीयान गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. सरोजबाला पुत्री औमप्रकाश पत्नी सन्दीप जाति सुथार निवासी 12 केएसडी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
 5. सोनीका पुत्री औमप्रकाश पत्नी मुकेश जाति सुथार निवासी टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर वर्मा वकील वादी मिन जाभिन मुदई श्री सुभाषचन्द्र गर्ग प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं० 1 के नाम से चक नं० 5 एफटीपी के खाता सं० 25/63 में कुल .316 है० में से 1/2 हिस्सा व चक नं० 3 एफटीपी के खाता सं० 28/50 में कुल 1.265 है० में से 1/2 हिस्सा तथा चक नं० 2 एफटीपी के खाता सं० 40/52 में कुल 2.239 है० में से 1/3 हिस्सा की कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं० 5 एफटीपी के खाता सं० 25/63 व चक नं० 3 एफटीपी के खाता सं० 28/50 तथा चक नं० 2 एफटीपी के खाता सं० 40/52 में से प्रतिवादी सं० 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकअदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी